कार्यालय–जिला कार्यक्रम अधिकारी, जनपद–जौनपुर।

पत्रांक C-1648 / जि0का0अधि0 / बा0वि0परि0 / विज्ञप्ति / 2025–26 दिनांक 19/01/2026

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **शासनादेश संख्या–1/1092245/2025/3313/58–1–2025(197687)** बाल विकास एवं पुष्टाहार, अनुभाग लखनऊ, **17 सितम्बर, 2025** में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद जौनपुर के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना सुजानगंज, सुइथाकला, सिरकोनी, मड़ियाहू, मछलीशहर, धर्मापुर एवं बदलापुर में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के चयन हेतु मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रियों के तहत विभागीय वेब साइट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों पर वार्डवार/परियोजनावार विवरण निम्नवत् है–:

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र/केन्द्र संख्या	आरक्षण	आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पद		कुल रिक्त
					ग्रामीण	शहरी	
1	सुजानगंज	प्यारेपुर	प्यारेपुर/ 9194220420	अनारक्षित	1	–	1
2	सुजानगंज	तारपट्टी	तारपट्टी/9194220229	अनारक्षित	1	–	1
3	सुइथाकला	भैसोली	भैसोली/9194210419	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	–	1
4	सिरकोनी	हूसेपुर	हूसेपुर/ 9194200607	अनुसूचित जाति	1	–	1
5	मड़ियाहू	सुभाषपुर	सुभाषपुर 2/ 9194120413	अनुसूचित जाति	1	–	1
6	मछलीशहर	सरायबीका	सरायबीका–1/ 9194100137	अनारक्षित	1	–	1
7	धर्मापुर	चोरसण्ड	चोरसण्ड 2/9194050305	अनारक्षित	–	1	1
8	बदलापुर	रूपचन्द्रपुर	रूपचन्द्रपुर/9194010218	अनारक्षित	1	–	1
सम्पूर्ण योग					7	1	8

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश–:

1. विज्ञप्ति पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगें।
2. आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदो हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी।
3. आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद हेतु आवेदिका की न्यूनमत आयु दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
4. आवेदिका को रिक्ति वाले ग्रामसभा/वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
5. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यकता के सम्बन्ध में मा0उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
6. गरीबी रेखा से नीचे की विधवां/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा महिला/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं।

7. उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
8. रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।
9. निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होगे जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
10. आय प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1–9–11–रा0–9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के कम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो। गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26– 2–2015 दिनांक 14 सितम्बर, 2015(यथा संशोधित) द्वारा ग्रमीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
11. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाईन व सही–सही सावधानीपूर्वक भरे जायेगें। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरिता प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म किया गया होगा। कोई भी आवेदन/अभिलेख ऑफलाइन स्वीकार्य नही होगा।
12. ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 09.02.2026 होगी।
13. रिक्त पदों का विस्तृत विवरण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर एवं विभागीय http://upanganwadibharti.in पर देखा जा सकता है।

नोट– पोर्टल पर आवेदन करते समय आवेदनकर्ता शासनादेश में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही आवेदन पत्र अपलोड करें।

19/01/26

(नरेन्द्र सिंह)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
जौनपुर।

पृष्ठांकन संख्या0 /जि0का0अधि0/बा0वि0परि0/विज्ञप्ति/2025–26 दिनांक

<u>प्रतिलिपिः</u>–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक महोदया, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जौनपुर।
4. सम्बन्धित उप–जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
5. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी जनपद–जौनपुर।
6. जिला सूचना अधिकारी जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शासकीय अनुमोदित दरों पर तथा न्यूनतम स्पेस में उक्त विज्ञप्ति जनपद जौनपुर के प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र–दैनिक जागरण, जौनपुर एवं हिन्दुस्तान, जौनपुर में प्रकाशित कराते हुये बिल दो प्रतियों में भुगतान की कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी, जनपद जौनपुर को इस निर्देश के साथ कि वह उपरोक्त विज्ञप्ति तहसील विकासखण्ड, सी0एच0सी0 तथा अपने कार्यालय में चस्पा करें, तथा व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें।
8. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
जौनपुर।